

प्रेस नोट

दिनांक 26.07.2019

थाना गौर पुलिस ने किया जनपद बेतियाह (बिहार) में 250000 रु के लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री पंकज कुमार के निर्देश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री पंकज के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी हरैया श्री राहुल पाण्डेय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गौर श्री अनिल कुमार दुबे मय टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त मंजूर आलम पुत्र कयूमउद्दीन उर्फ कादी मिया नि0 कटहरी थाना साठी जनपद बेतियाह (बिहार) को दिनांक 26.07.2019 को समय 9.10 बजे सुजिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मंजूर आलम पुत्र कयूमउद्दीन उर्फ कादी मिया नि0 कटहरी थाना साठी जनपद बेतियाह (बिहार) ।

बरामदगी -

1. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस काला रंग (बिना नंबर की सम्बन्धित मु0अ0सं0- 184/19 धारा 379 IPC थाना परसरामपुर बस्ती, दिनांक 25.07.2019 को पंजीकृत)

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं पता उपरोक्त का निवासी हूँ इसी वर्ष माह जून में अपने जिले के थाना पुरुसोत्तमपुर क्षेत्र में दिनांक 29.6.19 को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के एजेंट से 250000/- रूपए व मोबाइल लूट किया । दिनांक 7.7.19 को डकैती की एक बड़ी घटना करने की योजना बना रहे थे की पुलिस ने हमारे एक साथी को पकड़ लिया, जिसके सम्बन्ध में थाना पुरुसोत्तमपुर में मैं वांछित था । वहां से बचकर गोरखपुर आ गया था । जहा पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में गुटका आदि बेच कर जीवनयापन कर रहा था, कि कुछ दिन पहले मेरी बहन के गाँव के लोग गोरखपुर स्टेशन पर मिले उन्ही लोगो के साथ मैं बस्ती के परसरामपुर के एक गाँव में गुलाब नामक व्यक्ति के घर पर मजदूरी का काम करने लगा । मजदूरी मुझसे ठीक से नहीं हो रहा था इसलिये दिनांक 22.7.19 की रात में वहा से बस्ती के लिए निकला । रास्ते में ग्राम मडरिया में एक घर के सामने एक हीरो प्लस स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी थी जिसका लॉक खुला था, कुछ दूर पैदल ले जा कर मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गयी । जिसे मैं लेकर बभनान स्टेशन आया । यहाँ पर बाजार से गुटखा खरीद बेच रहा था । आज मैं मोटरसाइकिल से बस्ती जा रहा था की आप लोगो द्वारा पकड़ा गया ।

थाना साठी में एक बार चोरी व मारपीट में जेल गया था

बरामदगी उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना गौर पर मु0अ0सं0- 91/19 धारा 41/411 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक गौर श्री अनिल कुमार दुबे ।
2. उ0नि0 श्री जगन्नाथ यादव थाना गौर बस्ती ।
3. हे0का0 अशोकचन्द, का0 मनोज कुमार सिंह, का0 राजेश कुमार गौड़, का0 चालक राजेश सिंह थाना गौर जनपद बस्ती ।